2021 का विधेयक संख्यांक 51

[दि कांस्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी रूपान्तर]

श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य

का

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम।

अनुच्छेद 80 का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 80 में, खंड (5) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"परंतु यह कि राज्य सभा में चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि पंजाब नगर निगम अधिनियम (चण्डीगढ़ पर विस्तारण), 1994 के अधीन गठित चण्डीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचकगण द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।"। 1994 का 45

चौथी अनुसूची का संशोधन।

3. संविधान की चौथी अनुसूची में, सारणी में—

(क) प्रविष्टि 31 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी—

"32. चण्डीगढ़.....1";

(ख) अंक "233" के स्थान पर, अंक "234" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के गठन का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 80(5) कहता है कि राज्य सभा में (संघ राज्यक्षेत्रों) के प्रतिनिधियों को उस रीति से चुना जाएगा जैसा संसद विधि द्वारा विहित करे। शब्द "पहली अनुसूची के भाग-ग में विनिर्दिष्ट राज्यों" का लोप किया गया और इसे नवंबर माह, 1956 के प्रथम दिवस से संविधान (सातवां) संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 3(1)(घ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। जबकि लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 80(5) के संबंध में एक विशेष कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य सभा में जिन संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने का उपबंध किया जाए। तथापि, प्रस्तावित विधेयक राज्य सभा में विशेष रूप से संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के संबंध में है।

यह विधेयक चंडीगढ़ से राज्य सभा में एक व्यक्ति चुने जाने का उपबंध करता है। जिस प्रकार दिल्ली महानगर परिषद ने 1966 से 1990 तक राज्य सभा में दिल्ली से तीन लोगों का चुनाव करने के लिए निर्वाचकगण के रूप में कार्य किया, उसी प्रकार इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचकगण को शामिल करके अध्यादेश, अर्थात्, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 द्वारा अस्तित्व में लाया जाए जैसाकि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अध्यादेश, 1994 द्वारा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा विस्तारित और 24 मई, 1994 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उक्त चंडीगढ़ नगर निगम को अस्तित्व में लाने और राज्य सभा में चंडीगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से इसके लिए निर्वाचकगण का गठन करना होगा।

उक्त अध्यादेश पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसका आगे पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा और संशोधन किया गया।

इस विधेयक का आशय राज्य सभा में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक स्थान का आबंटन करने का उपबंध करने की दृष्टि से संविधान का संशोधन करना है । प्रतिनिधि को पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचकगण द्वारा चुना जाएगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;

11 *फरवरी*, 2021.

मनीश तिवारी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सभा में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक स्थान के आबंटन का उपबंध करता है। अतः विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर लगभग दो लाख रुपये प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

इस पर कोई भी अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है।

उपाबंध

भारत के संविधान में से उद्धरण

* * * * * * *

80.(1) राज्य सभा की संरचना— राज्य सभा की संरचना।

(क) * * * * *

(ख) * * * * *

(2) * * * * * *

(3) * * * * * *

(4) * * * * * *

(5) राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे।

* * * * * * *

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं:

सारणी

1. आंध्र प्रदेश.....11

* * * * * * *

31. जम्मू – कश्मीर.....4

कुल 233

* * * * * * *

लोक सभा

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य)